राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2055/2025

रविन्द्र कुमार बैरवा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 19.03.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र जैन, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक रेडियोग्राफर के पद पर सीएचसी, खेजडीकलां, लूणी जोधपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से न्यू मेडिकल कॉलेज, कोटा में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 09.07.2024 के द्वारा हुई। अपीलार्थी वर्तमान में परिवीक्षाधीन है, जो अभी तक परिवीक्षा काल पूर्ण नहीं हुआ है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश पारित होने के पश्चात भी अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है। अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया था, जिसका निस्तारण नहीं किया गया है। अपीलार्थी के पुत्र ने दिनांक 16.10.2024 को आत्महत्या कर ली थी, जिससे अपीलार्थी का पुरा परिवार शोकग्रस्त है और परिवार को संभालने वाला अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई नहीं है। अपीलार्थी

के पिता वृद्ध है, जो डाईबिटिज से ग्रसित है, जिस कारण उन्हें कम दिखाई देता है। अपीलार्थी की माता ब्लडप्रेशर से पीडित है। अपीलार्थी अपने माता–पिता की एकमात्र संतान है। ऐसे में अपीलार्थी का अपने परिवार के साथ रहना अत्यंत आवश्यक है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 15.01.2025 की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर कार्यग्रहण करवाया जावे।

3. हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

4. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अनेक रिट याचिकाओं में यह अभिनिर्धारित किया है कि परिवीक्षाधीन कर्मचारी का नियमानुसार स्थानांतरण किया जा सकता है क्योंकि ऐसा कर्मचारी सेवा नियमों के तहत चयनित नियमित कार्मिक होता है, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी सहायक रेडियोग्राफर के पद पर वर्ष 2024 से परिवीक्षाधीन (Probationer) है। राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 7(30) में वर्णित परिवीक्षाधीन कार्मिक की पूर्वोक्त परिभाषा के अनुसार अपीलार्थी सभी प्रयोजनार्थ सेवा का सदस्य है। परिवीक्षाधीन अवधि में एक कार्मिक अन्य कार्मिकों की भांति कार्य सम्पादित करता है और उसका स्थानान्तरण सेवा भी सेवा के अन्य सदस्यों की भांति किया जा सकता है। परिवीक्षाधीन कार्मिक की कोई पृथक सेवा नहीं होती है, ऐसी स्थिति में उससे कोई अलग प्रकार का व्यवहार करना या विभेद करना युक्तियुक्त एवं नियमानुकूल नहीं है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 की पालना में नवीन पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त किया जावे।

6. उक्त अपील उक्त निर्देशों के साथ ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष